सत्यब्रत साहु, आई.ए.एस.
संयुक्त सचिव
Satyabrata Sahu, *I.A.S.*
Joint Secretary

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
Government of India
Ministry of Drinking Water and Sanitation
B-2 Wing, 4th Floor, Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003
Tel. : 24361043 Fax : 24364113
E-mail : jstm@nic.in
Website : www.ddws.nic.in

अ.शा.सं. क्यू-17012/1/2015-सांख्यिकी
दिनांक : 07 जनवरी, 2016

प्रिय महोदय/महोदया,

दिनांक 02 अक्टूबर, 2019 तक स्वच्छ भारत की प्राप्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना मुख्य साधन है। अत: मंत्रालय का प्रस्ताव है कि ग्रामीण परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा उठाए गए क़दमों की समीक्षा की जाए।

2. तदनुसार दिनांक 03 फरवरी, 2016 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में ग्रामीण पेयजल/जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग के प्रभारी राज्य मंत्रियो और आरडब्लूएस/पीएचईडी के प्रभारी राज्य सचिवों के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत बैठक की कार्यसूची निम्नानुसार है:-

- **जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों का (पाइप से जलपूर्ति करके)/ सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रो द्वारा कवरेज;**
- **पाइप से जलापूर्ति अथवा अन्य स्कीम से आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों का कवरेज;**
- **घरेलू कनेक्शन के अंतर्गत प्रगति;**
- **प्रयोगशाला जांच/जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग;**
- **सौर उर्जा आधारित दोहरी पंप प्रणाली;**
- **स्थायित्व के अंतर्गत व्यय;**
- **सपोर्ट फंड के अंतर्गत आईईसी/एचआरडी की कार्य योजना;**
- **जल सुरक्षा पायलेट योजना।**

3. समीक्षा बैठक के दौरान संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण के माध्यम से राज्य की उत्तम रीतियों को साझा किया जा सकता है। श्रीमती संध्या सिंह, निदेशक (सांख्यिकी) को sandhya.singh@nic.in पर उत्तम रीतियाँ तथा संक्षिप्त विवरण भेजा जाए।

4. अनुरोध है कि बैठक में अपने इंजीनियर-इन-चीफ/मुख्य अभियंता के साथ 3 फरवरी, 2016 को पूर्वाह्न 9:30 बजे भाग लें। कार्यक्रम की सूची और विस्तृत कार्यसूची नोट मंत्रायल की वेबसाइट पर शीघ्र ही डाल दिए जाएँगे।

सादर,

भवदीय

सत्यब्रत

(सत्यब्रत साहु)

सेवा में,
प्रधान सचिव/प्रभारी सचिव ग्रामीण पेयजल आपूर्ति
सभी राज्य /संघ राज्य क्षेत्र